न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्तगण

1. मनीष शर्मा पुत्र अशोक जी शर्मा, जाति– शर्मा,
   निवासी– जी–189, अम्बाजी इन्डस्ट्रीज एरिया, आबूरोड़, जिला– सिरोही
   (मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता)

फर्मः– मैसर्स वाडीलाल एन्टरप्राईजेज लिमिटेड, जी–189, अम्बाजी इन्डस्ट्रीज एरिया, आबूरोड़, जिला– सिरोही

2. अर्पित डी. पारिख पुत्र श्री दिनेश ए. पारिख,
   प्लॉट नं. 1090/2, सेक्टर–3/डी, गांधीनगर – 382006
   (नॉमिनी निर्माता फर्म)

फर्मः– वाडीलाल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, गांव–पुन्धरा, तह0–मानसा, जिला–गांधीनगर (गुज.)

3. वाडीलाल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, गांव–पुन्धरा, तह0–मानसा, जिला–गांधीनगर (गुज.)
   पंजीकृत कार्यालयः– वाडीलाल हाउस, 53, श्रीमाली सोसायटी, नवरंगपुरा रेल्वे क्रॉसिंग के पास, नवरंगपुरा, अहमदाबाद – 380009
   जरिये नॉमिनी निर्माता फर्मः–
   अर्पित डी. पारिख पुत्र श्री दिनेश ए. पारिख,
   प्लॉट नं. 1090/2, सेक्टर–3/डी, गांधीनगर – 382006

F.S.S.Act Case No. 24/2025 (36/2017)

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थितिः

1. प्रतिवादीगण अनुपस्थित।

–: निर्णय :– **दिनांक 06 अगस्त, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 26–6–2016 को मैसर्स वाडीलाल एन्टरप्राईजेज लिमिटेड, जी–189, अम्बाजी इन्डस्ट्रीज एरिया, आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता मनीष शर्मा पुत्र अशोक जी शर्मा, निवासी–जी–189, अम्बाजी इण्डस्ट्रीयल एरिया, आबूरोड़, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चॉकलेट, चिप्स ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-614 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./760/Act/2016/793 दिनांक 06–7–2016 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को इस न्यायालय में दिनांक 09–10–2017 को F.S.S.Act Case No. 36/2017 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्तगण को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान

....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रतिवादी अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री पूरण सिंह देवड़ा हुए एवं अभियुक्तगण की ओर से दिनांक 13–6–2018 को लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् उक्त प्रकरण में दिनांक 25–7–2018 को प्रतिवादी अभियुक्तगण के अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर बाद सुनवाई इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26–7–2018 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रकरण में अभियुक्त मनीष शर्मा को आरोप मुक्त किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत निर्माता फर्म वाडीलाल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम– पुन्धरा, तहसील– मानसा, जिला– गांधीनगर (गुजरात) पर राशि रुपये 35,000/– (अक्षरे रुपये पैतीस हजार मात्र) का जुर्माना अधिरोपित किया गया एवं निर्माता फर्म वाडीलाल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम– पुन्धरा, तहसील– मानसा, जिला– गांधीनगर (गुजरात) के नॉमिनी अर्पित डी. पारीख पुत्र श्री दिनेश ए. पारीख, प्लॉट नंबर 1090/2, सेक्टर– 3/डी, गांधीनगर – 382006 को आदेशित किया गया कि निर्माता फर्म वाडीलाल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम– पुन्धरा, तहसील– मानसा, जिला– गांधीनगर (गुजरात) पर उक्तानुसार अधिरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्टेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये।

(3) उक्त F.S.S.Act Case No. 36/2017 में इस न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 26–7–2018 के विरुद्ध प्रतिवादी अभियुक्त संख्या 2 व 3 द्वारा माननीय खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर (राजस्थन) में अपील प्रस्तुत की गई, जो माननीय खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर में एफ.ए. प्रकरण संख्याः 82/2018 पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई। माननीय पीठासीन अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिरण, जयपुर द्वारा उक्त अपील एफ.ए. प्रकरण संख्याः 82/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27–3–2025 के द्वारा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर इस न्यायालय (न्याय निर्णायक अधिकारी, सिरोही) द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जाकर अपील इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई है कि पुनः उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का विधि अनुसार निस्तारण 06 माह की अवधि के भीतर करे। अपील के पक्षकारों को पृथक से कोई सूचना नही दी जायेगी और वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 21–04–2024 को उपस्थित रहे। केवल प्रतिवादी अभियुक्त संख्या 01 मनीष शर्मा जिनको न्याय निर्णयन अधिकारी ने दोषमुक्त किया उन्हें सुनवाई से पूर्व सूचित किया जावे। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में जो आपत्तियां ली गई उनको न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष उठाने हेतु स्वतंत्र है।

(4) माननीय खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकारी, जयपुर द्वारा उक्त अपील एफ.ए. प्रकरण संख्याः 82/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27–3–2025 की पालना में इस न्यायालय में प्रकरण पुनः F.S.S.Act Case No. 24/2025 पर दर्ज रजिस्टर किया गया। माननीय खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकारी, जयपुर के उंक्त निर्णय की पालना में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से प्रतिवादी संख्या 2 (अर्पित डी. पारीख) इस न्यायालय में नियत दिनांक 21–4–2025, 30–4–2025 व 23–5–2025 को उपस्थित हुए। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा माननीय खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकारी, जयपुर द्वारा पारित उक्त निर्णय की अनुपालना में प्रतिवादी संख्या 01 (मनीष शर्मा) को सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर पंजीकृत डाक से तामिल करवाया गया। प्रतिवादी संख्या 01 (मनीष शर्मा) को इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की पंजीकृत डाक से नोटिस

....पेज तीन पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

की तामिली होने के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 01 (मनीष शर्मा), इस न्यायालय में नियत सुनवाई तिथि 13—6—2025 को उपस्थित नही हुये एवं इसके पश्चात् की सुनवाई तिथि पर भी इस न्यायालय में उपस्थित नही हुये एवं न ही इनकी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 (अर्पित डी. पारीख) ने इस न्यायालय में नियत सुनवाई तिथि 30—4—2025 व 23—5—2025 को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब व बचाव में पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा, लेकिन सुनवाई दिनांक 23—5—2025 के बाद की सुनवाई तिथियों पर प्रतिवादी अर्पित डी. पारीख इस न्यायालय में उपस्थित नही हुये। अतः माननीय खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर द्वारा अपील एफ.ए. प्रकरण संख्याः 82/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27—3—2025 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों/आदेश की पालना में इस प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार व संबंधित कानून के परिप्रेक्ष्य में विधि सम्मत निस्तारण किया जा रहा है।

(5) मैनें पत्रावली तथा पत्रावली पर दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि दिनांक 26—6—2016 को 5—00 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स वाडीलाल एन्टरप्राईजेज लिमिटेड, जी—189, अम्बाजी इन्डस्ट्रीज एरिया, आबूरोड़, जिला— सिरोही पर गये। वहां उक्त फर्म मैसर्स वाडीलाल एन्टरप्राईजेज लिमिटेड में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से प्रतिवादी मनीष शर्मा पुत्र अशोक जी शर्मा, निवासी— जी—189, अम्बाजी इन्डस्ट्रीज एरिया, आबूरोड़, जिला— सिरोही उपस्थित मिले। जो मैसर्स वाडीलाल एन्टरप्राईजेज लिमिटेड पर खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (वाडीलाल चोकलेट चिप्स ब्राण्ड) का विक्रय एवं सप्लाई आम जनता के लिये करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म मैसर्स वाडीलाल एन्टरप्राईजेज लिमिटेड, जी—189, अम्बाजी इन्डस्ट्रीज एरिया, आबूरोड़ के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (वाडीलाल चोकलेट चिप्स ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री नवलसिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही एवं श्री भंवर पुरी पुत्र श्री गुलाब पुरी, प्लॉट नं. 152, प्रताप नगर, जोधपुर के समक्ष प्रतिवादी विक्रेता मनीष शर्मा को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी तथा उक्त फर्म मैसर्स वाडीलाल एन्टरप्राईजेज लिमिटेड, जी—189 अम्बाजी इन्डस्ट्रीज एरिया, आबूरोड के गोदाम के कोल्ड स्टोरेज में विक्रय हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (वाडीलाल चोकलेट चिप्स ब्राण्ड) के 60 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 700 एम.एल.) में से खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (वाडीलाल चोकलेट चिप्स ब्राण्ड) के 2 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 700 एम.एल.) खरीदे एवं उसकी कीमत राशि रुपये 230/— (अक्षरे रुपये दो सौ तीस मात्र) अदा कर खरीद रसीद बिल तैयार कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर प्रतिवादी विक्रेता मनीष शर्मा, उक्त गवाहान एवं एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं क्रमांक S-614, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम आईसक्रीम (वाडीलाल चोकलेट चिप्स ब्राण्ड), नमूना लेने का स्थान आदि विवरण अंकित करके प्रत्येक लेबल पर प्रतिवादी विक्रेता मनीष शर्मा व उक्त गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात्

.....पेज चार पर

पीठ. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही—307001

न्यायालय प्राँत० जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही (राज०)

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (वाडीलाल चोकलेट चिप्स ब्राण्ड) के दोनों खरीद शुदा नमूना पैकेटो को खोलकर एक भिगोने में डाला व कमरे के तापमान पर आने दिया। इसके बाद पिघली हुई आईसक्रीम (वाडीलाल चोकलेट चिप्स ब्राण्ड) में से 1200 ग्राम आईसक्रीम (वाडीलाल चोकलेट चिप्स ब्राण्ड) को चार कांच की साफ सुखी खाली शीशीयों में बराबर–बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक शीशी में 24–24 बूंदे फार्मेलीन की डाली तथा चारों शीशीयों को ढ़क्कन से एयरटाईट बन्द किया। प्रत्येक नमूना शीशी पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-614 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता मनीष शर्मा व उक्त गवाहों के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जाप्ते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई, जो न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है एवं इस मौका फर्द रिपोर्ट पर प्रतिवादी विक्रेता मनीष शर्मा, उक्त गवाहों एवं श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। श्री विनोद कुमार शर्मा, आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल एवं मौका फर्द आदि के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 26–6–2016 को मैसर्स वाडीलाल एन्टरप्राईजेज लिमिटेड, जी–189, अम्बाजी इन्डस्ट्रीज एरिया, आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता मनीष शर्मा पुत्र अशोक जी शर्मा से खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (वाडीलाल चोकलेट चिप्स ब्राण्ड) को खाद्य पदार्थ एवं सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधि अनुरुप की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (वाडीलाल चोकलेट चिप्स ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर–6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर–6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 28–6–.2016 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर–6 का एक सील बन्द लिफावा श्री तेजाराम मेघवाल, वार्ड बॉय के द्वारा वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर–6 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 28–6–2016 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (वाडीलाल चोकलेट चिप्स ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-614 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक:L.S./760/Act/2016/793 दिनांक 06–7–2016 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स वाडीलाल एन्टर प्राईजेज लिमि., जी–189, अम्बाजी इन्डस्ट्रीज एरिया, आबूरोड़ में प्रतिवादी विक्रेता मनीष शर्मा पुत्र अशोक जी शर्मा से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चोकलेट चिप्स वाडीलाल ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-614,

.....पेज पांच पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a), 3(1)(zf)(B)(ii) and 3(1)(zf)(c)(i) के अर्न्तगत मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जो Regulation No. 2.2.2.2(f), 2.2.1(3) and 2.3.1(5) of Food Safety and Standards (packaging and Labelling) Regulations, 2011 का उल्लंघन है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि प्रकरण में श्री मनीष शर्मा, जी—189, अम्बाती इन्डस्ट्रीज एरिया, आबूरोड़ को अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र कमांक/एफएसएसए/2016/ 3667—69 दिनांक 11.7.2016 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित कर सूचित किया गया कि अगर उक्त जांच रिपोर्ट से सन्तुष्ट नही हो तो अपील आवेदन प्रारुप—8 में इस पत्र प्राप्ति के 30 दिवस में प्रस्तुत करे, लेकिन संबंधित द्वारा अधिसूचित रेफरल लेब से नमूने की जांच कराने हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति निर्माता फर्म वाडीलाल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम— पुन्धरा, तहसील— मानसा, जिला— गुजरात को भी प्रेषित की गई है।

प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह तथ्य भी साबित होता है कि प्रतिवादी अभियुक्त संख्या—1 मनीष शर्मा पुत्र अशोक जी शर्मा की प्रोपराईटरी फर्म मैसर्स वाडीलाल एन्टरप्राईजेज लिमिटेड, जी—1, अम्बाजी इन्डस्ट्रीज एरिया, आबूरोड़ को उक्त खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चोकलेट चिप्स वाडीलाल ब्राण्ड) के 700—700 एम.एल. के पैक्ड पैकेटों को निर्माता फर्म वाडीलाल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम— पुन्धरा, तहसील— मानसा, जिला— गांधीनगर ने स्टॉक ट्रांसफर नोटस् इनवॉईस नंम्बर 1000058995 दिनांक 20.6.2016 के द्वारा विक्रय किये/विक्रय हेतु भेजे थे, जो खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (वाडीलाल चोकलेट चिप्स ब्राण्ड) की निर्माता व पैकर फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 व 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है। इस प्रकार, प्रकरण में मिथ्या छाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (वाडीलाल चोकलेट चिप्स ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी मनीष शर्मा पुत्र अशोक जी शर्मा, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स वाडीलाल एन्टरप्राईजेज लिमि., जी—189, अम्बाजी इण्डस्ट्रज एरिया, आबूरोड़, जिला—सिरोही तथा मिथ्या छाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (वाडीलाल चोकलेट चिप्स ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु निर्माता फर्म मैसर्स वाडीलाल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम—पुन्धरा, तहसील— मानसा, जिला— गांधीनगर (गुजरात) दोषी है। प्रकरण में प्रतिवादी मनीष शर्मा पुत्र अशोक जी शर्मा, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स वाडीलाल एन्टरप्राईजेज लिमि., जी—189, अम्बाजी इण्डस्ट्रज एरिया, आबूरोड़, जिला—सिरोही द्वारा मिथ्या छाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (वाडीलाल चोकलेट चिप्स ब्राण्ड) का विक्रय करके एवं निर्माता फर्म मैसर्स वाडीलाल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम—पुन्धरा, तहसील— मानसा, जिला— गांधीनगर (गुजरात) द्वारा मिथ्या छाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (वाडीलाल चोकलेट चिप्स ब्राण्ड) का निर्माण, पैकिंग व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि माननीय खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर द्वारा उक्त अपील एफ.ए. प्रकरण संख्या: 82/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27—3—2025 में पृष्ठ संख्या 4 पर यह अंकित किया है कि

.....पेज छः पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही—307001

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

"अभियुक्त सं. 1 मनीष शर्मा जोकि फर्म मैसर्स वाडिलाल इन्टप्राईजेज लिमिटेड, जी 189, अम्बाजी इण्डस्ट्रीयल एरिया, आबूरोड़, जिला सिरोही का मालिक और खाद्य कारोबारकर्ता था, इसको माल निर्माता फर्म वाडिलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गांव पुन्धरा, तहसील मानसा, जिला– गांधीनगर ने माल विक्रय किया था, दोषमुक्त कर दिया। किन्तु धारा 26 और 27 का अवलोकन नही किया जो कि मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ के लिये खाद्य व्यापार संचालक की जिम्मेदारियों से संबंधित है" माननीय खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर द्वारा उक्त अपील एफ.ए. प्रकरण संख्याः 82/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27–3–2025 में पृष्ठ संख्या 5 व 6 में यह अंकित किया है कि **"न्याय निर्णयन अधिकारी ने प्रतिवादी सं. 3/अपीलार्थी निर्माता फर्म वाडिलाल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, गांव पुन्धरा, तहसील मानसा, जिला– गांधीनर पर धारा 52 के अर्न्तगत 35,000/– रुपये की शास्ति आरोपित की है। वाडिलाल फर्म आईसक्रीम की काफी बडी नामी निर्माता फर्म है जिसका एक ब्राण्ड है, हर स्तर के व्यक्ति बच्चे से लेकर वृद्ध तक इस आईसक्रीम का प्रयोग करते है। केवल ब्राण्ड के नाम से ही इस आईसक्रीम को क्रय करते है, लेबिल तक नही देखते। देश के एक कोने से दूसरे कोने में संपूर्ण देश में इस आईसक्रीम का क्रय विक्रय किया जाता है। निर्मता फर्म का टर्न ओवर ही करोड़ों में है।"**

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्या छाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (वाडीलाल चोकलेट चिप्स ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी मनीष शर्मा पुत्र अशोक जी शर्मा, निवासी– जी–189, अम्बाजी इन्डस्ट्रीज एरिया, आबूरोड़, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स वाडीलाल एन्टरप्राईजेज लिमिटेड, जी–189, अम्बाजी इन्डस्ट्रीज एरिया, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 20,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) एवं मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (वाडीलाल चोकलेट चिप्स ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु निर्माता फर्म वाडीलाल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम– पुन्धरा, तहसील– मानसा, जिला– गांधीनगर (गुजरात) पर राशि रुपये 1,00,000/– (अक्षरे रुपये एक लाख मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही प्रतिवादी मनीष शर्मा पुत्र अशोक जी शर्मा, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स वाडीलाल एन्टरप्राईजेज लिमिटेड, जी–189, अम्बाजी इन्डस्ट्रीज एरिया, आबूरोड़, जिला– सिरोही तथा निर्माता फर्म वाडीलाल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम– पुन्धरा, तहसील– मानसा, जिला– गांधीनगर (गुजरात) के नॉमिनी अर्पित डी. पारीख पुत्र श्री दिनेश ए. पारीख, प्लॉट नंबर 1090/2, सेक्टर– 3/डी, गांधीनगर – 382006 को आदेशित किया जाता है कि उक्त अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि का का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय की प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी व प्रतिवादीगण को पालनार्थ प्रेषित की जावे। निर्णय सुनाया गया।

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट ★ सिरोही (राज०) ★

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
(न्याय निर्णयन अधिकारी)
सिरोही